

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 16/01/08

प्रति,

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश भोपाल,।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन।

राज्य शासन द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार सामान्य क्षेत्र के 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सिविल अस्पताल पचमढी का उन्नयन 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त संस्थाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	प्रति सा.स्वा.के. स्वीकृत पद संख्या	24 सा. स्वा. के. के लिये स्वीकृत कुल पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1	24
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1	24
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1	24
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1	24
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6	144
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1	24
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1	24
8	लेखापाल	4000-6000	1	24
9	लैब अटेंडेंट	2750-4400	1	24
10	ओ.टी. अटेंडेंट	2550-3200	1	24
11	वार्ड बाय	2550-3200	1	24
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1	24
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1	24

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण - 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना - सामान्य - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल दिनांक 16/01/08

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने हेतु प्रेषित ।
2. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल ।
3. संबंधित कलेक्टर म.प्र. ।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र. ।
5. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा ।
6. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन, भोपाल ।
7. स्टाफ फाईल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में
उन्नयन की सूची –

क्रमांक	संस्था का नाम जिसका उन्नयन किया गया	विकास खंड एवं जिला
1	प्रा.स्वा.के. म्याना	गुना जिला गुना
2	प्रा.स्वा.के. चंदिया	उमरिया जिला उमरिया
3	प्रा.स्वा.के. हंडिया	हरदा जिला हरदा
4	प्रा.स्वा.के. खुरपा	नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर
5	प्रा.स्वा.के. देवेन्द्र नगर	पन्ना जिला पन्ना
6	प्रा.स्वा.के. खुजनेर	राजगढ़ जिला राजगढ़
7	प्रा.स्वा.के. रामनगर	रामनगर जिला सतना
8	प्रा.स्वा.के. बेटमा	देपालपुर जिला इंदौर
9	प्रा.स्वा.के. पहाड़ी	मुडवाड़ा जिला कटनी
10	प्रा.स्वा.के. बागोद	बड़वाह जिला खरगोन
11	प्रा.स्वा.के. नगरी	मंदसौर जिला मंदसौर
12	प्रा.स्वा.के. जीरन	नीमच जिला नीमच
13	प्रा.स्वा.के. सुठालिया	ब्यावरा जिला राजगढ़
14	प्रा.स्वा.के. गुढ़	रायपुर जिला रीवा
15	प्रा.स्वा.के. सेमरिया	सिरमौर जिला रीवा
16	प्रा.स्वा.के. त्योंथर	त्योंथर जिला रीवा
17	प्रा.स्वा.के. अमदरा	मैहर जिला सतना
18	प्रा.स्वा.के. खुटार	बैठन जिला सीधी
19	प्रा.स्वा.के. सरई	देवसर जिला सीधी
20	प्रा.स्वा.के. बेरदाह	चितरंगी जिला सीधी
21	प्रा.स्वा.के. रामपायली	वारासिवनी जिला बालाघाट
22	प्रा.स्वा.के. गौहरगंज	औबेदुल्लागंज जिला रायसेन
23	प्रा.स्वा.के. खरगापुर	बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
24	सि.अ.पचमढी	पिपरिया जिला होशंगाबाद

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-7/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 15/01/08

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- कोलार रोड, भोपाल में 30 बिस्तर के नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं स्थापना के फलस्वरूप नवीन पदों का सृजन।

राज्य शासन द्वारा कोलार रोड, भोपाल के लिये 30 बिस्तर के नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान करता है तथा संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	प्रति सा.स्वा.के. स्वीकृत पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1
8	लेखापाल	4000-6000	1
9	लैब अटेन्डेंट	2750-4400	1
10	ओ.टी. अटेन्डेंट	2550-3200	1
11	वार्ड बाय	2550-3200	1
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण - 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना - 5998 - सामुदायिक स्वास्थ्य में उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 7.12.2007 में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 12-4/06/17/मेडि-3
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल दिनांक 15/01/08

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने हेतु प्रेषित।
2. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल, म.प्र.।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल, म.प्र.।
5. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा।
6. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन, भोपाल।
7. स्टाफ फाईल।

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 16/01/08

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन।

राज्य शासन द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सिविल अस्पताल ताल (रतलाम) का उन्नयन 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त संस्थाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	प्रति सा.स्वा. के. स्वीकृत पद संख्या	17 सा. स्वा. के. के लिये स्वीकृत कुल पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1	17
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1	17
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1	17
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1	17
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6	102
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1	17
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1	17
8	लेखापाल	4000-6000	1	17
9	लैब अटेंडेंट	2750-4400	1	17
10	ओ.टी. अटेंडेंट	2550-3200	1	17
11	वार्ड बाय	2550-3200	1	17
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1	17
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1	17

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 64 –अनुसूचित जाति उपयोजना 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य–03– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्ये–एलोपैथी – 103 – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 0103 – अनुसूचित जाति उपयोजना – 7317 – ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1–16/07/17/मेडि–3

भोपाल दिनांक 16/01/08

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने हेतु प्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भोपाल।
3. आयुक्त आदिवासी म.प्र. भोपाल।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल।
5. संबंधित कलेक्टर म.प्र.।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
7. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा।
8. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन, भोपाल।
9. स्टाफ फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

परिशिष्ट

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में
उन्नयन की सूची –

	संस्था का नाम जिसका उन्नयन किया गया	विकास खंड एवं जिला
1	प्रा.स्वा.के. शाडोरा	अशोकनगर जिला अशोकनगर
2	प्रा.स्वा.के. हिंडोरिया	दमोह जिला दमोह
3	प्रा.स्वा.के. इंदरगढ़	सेवढा जिला दतिया
4	प्रा.स्वा.के. बसई	दतिया जिला दतिया
5	प्रा.स्वा.के. पोलायकला	शुजालपुर जिला शाजापुर
6	प्रा.स्वा.के. जावर	आष्टा जिला सीहोर
7	प्रा.स्वा.के. ईशानगर	छतरपुर जिला छतरपुर
8	प्रा.स्वा.के. विजयगंज मंडी	देवास जिला देवास
9	प्रा.स्वा.के. खडियार	अम्बाह जिला मुरैना
10	प्रा.स्वा.के. झुण्डपुरा	सबलगढ़ जिला मुरैना
11	प्रा.स्वा.के. मण्डीबामौरा	बीना जिला सागर
12	प्रा.स्वा.के. सुंदरसी	शाजापुर जिला शाजापुर
13	प्रा.स्वा.के. सतनबड़ा	शिवपुरी जिला शिवपुरी
14	प्रा.स्वा.के. नरवर	उज्जैन जिला उज्जैन
15	प्रा.स्वा.के. इगरोरिया	बड़नगर जिला उज्जैन
16	प्रा.स्वा.के. पीपलखेड़ा	विदिशा जिला विदिशा
17	सिविल अस्पताल ताल	आलोट जिला रतलाम

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 16/01/08

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन ।

राज्य शासन द्वारा संलग्न सूची अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त संस्थाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	प्रति सा.स्वा. के. स्वीकृत पद संख्या	14 सा. स्वा. के. के लिये स्वीकृत कुल पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1	14
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1	14
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1	14
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1	14
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6	84
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1	14
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1	14
8	लेखापाल	4000-6000	1	14
9	लैब अटेन्डेंट	2750-4400	1	14
10	ओ.टी. अटेन्डेंट	2550-3200	1	14
11	वार्ड बाय	2550-3200	1	14
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1	14
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1	14

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0102 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 16/01/08

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने हेतु प्रेषित ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भोपाल ।
3. आयुक्त आदिवासी म.प्र. भोपाल ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र. ।
7. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा ।
8. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन, भोपाल ।
9. स्टाफ फाईल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में
उन्नयन की सूची –

क्रमांक	संस्था का नाम जिसका उन्नयन किया गया	विकास खंड एवं जिला
1	प्रा.स्वा.के. कल्याणपुरा	झाबुआ जिला झाबुआ
2	प्रा.स्वा.के. बडुद	खरगोन जिला खरगोन
3	प्रा.स्वा.के. बम्हनी	मंडला जिला मंडला
4	प्रा.स्वा.के. सिलावद	बड़वानी जिला बड़वानी
5	प्रा.स्वा.के. सेहरा	बैतुल जिला बैतुल
6	प्रा.स्वा.के. विक्रमपुर	डिंडोरी जिला डिंडोरी
7	प्रा.स्वा.के. वैकटनगर	जैतहारी जिला अनुपपुर
8	प्रा.स्वा.के. अमझेरा	सरदारपुर जिला धार
9	प्रा.स्वा.के. धामनोद	धरमपुरी जिला धार
10	प्रा.स्वा.के. फुनगा	अनूपपुर जिला अनूपपुर
11	प्रा.स्वा.के. करपा	पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर
12	प्रा.स्वा.के. पलसूद	राजपुर जिला बड़वानी
13	प्रा.स्वा.के. बनसुखली	जैसिंहनगर जिला शहडोल
14	प्रा.स्वा.के. वरला	सैंधवा जिला बड़वानी

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 16/01/08

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाडकुई विकासखंड नसरुल्लागंज जिला सीहोर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़ी विकासखंड बाड़ीबरेली जिला रायसेन का उन्नयन 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त संस्थाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	प्रति सा.स्वा. के. स्वीकृत पद संख्या	2 सा. स्वा. के. के लिये स्वीकृत कुल पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1	2
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1	2
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1	2
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1	2
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6	12
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1	2
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1	2
8	लेखापाल	4000-6000	1	2
9	लैब अटेन्डेंट	2750-4400	1	2
10	ओ.टी. अटेन्डेंट	2550-3200	1	2
11	वार्ड बाय	2550-3200	1	2
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1	2
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1	2

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 64 –अनुसूचित जाति उपयोजना 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य–03– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्ये–एलोपैथी – 103 – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 0103 – अनुसूचित जाति उपयोजना – 7317 – ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 16/01/08

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
3. सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भोपाल।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल।
5. कलेक्टर जिला सीहोर/रायसेन म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर/रायसेन म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी सीहोर/रायसेन म.प्र.।
8. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा।
9. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन, भोपाल।
10. स्टाफ फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 24/05/08

प्रति,

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश भोपाल,।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराली जिला हरदा का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन।

राज्य शासन, एतद् द्वारा सामान्य क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराली जिला हरदा का उन्नयन 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	सा.स्वा.के. स्वीकृत अतिरिक्त पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1
8	लेखापाल	4000-6000	1
9	लैब अटेन्डेंट	2750-4400	1
10	ओ.टी. अटेन्डेंट	2550-3200	1
11	वार्ड बाय	2550-3200	1
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण - 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना - सामान्य - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 24/05/08

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने हेतु प्रेषित।
2. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला हरदा, म.प्र. ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा, म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला हरदा, म.प्र.।
6. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा।
7. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल, म.प्र.।
8. स्टाफ फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/05/08

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश भोपाल,।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ जिला छतरपुर का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन।

राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ जिला छतरपुर का उन्नयन 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	सा.स्वा.के. स्वीकृत अतिरिक्त पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1
8	लेखापाल	4000-6000	1
9	लैब अटेंडेंट	2750-4400	1
10	ओ.टी. अटेंडेंट	2550-3200	1
11	वार्ड बाय	2550-3200	1
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 64 -अनुसूचित जाति उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 24/05/08

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल ।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
3. सचिव,म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भोपाल ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल ।
5. कलेक्टर जिला छतरपुर, म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर, म.प्र. ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला छतरपुर म.प्र. ।
8. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा ।
9. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
10. स्टाफ फाईल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 24/05/08

प्रति,

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवाएँ,
मध्यप्रदेश भोपाल,।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झींकबिजुरी जिला शहडोल का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन।

राज्य शासन, एतद् द्वारा आदिवासी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झींकबिजुरी जिला शहडोल का उन्नयन 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	सा.स्वा.के. स्वीकृत अतिरिक्त पद संख्या
1	सर्जिकल विशेषज्ञ	10000-15200	1
2	शिशु विशेषज्ञ	10000-15200	1
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1
4	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1
5	स्टाफ नर्स	4000-6000	6
6	रेडियोग्राफर	3500-5200	1
7	नेत्र सहायक	4000-6000	1
8	लेखापाल	4000-6000	1
9	लैब अटेन्डेंट	2750-4400	1
10	ओ.टी. अटेन्डेंट	2550-3200	1
11	वार्ड बाय	2550-3200	1
12	स्वीपर	अनुबंध पर	1
13	वाहन चालक	अनुबंध पर	1

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0102 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर दो अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकित करने हेतु प्रेषित ।
2. सचिव,म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भोपाल ।
3. आयुक्त आदिवासी म.प्र. भोपाल ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र., भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला शहडोल, म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शहडोल, म.प्र. ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शहडोल म.प्र. ।
8. अवर सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शाखा ।
9. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
10. स्टाफ फाईल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग